टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 12(17)/एलसी/2008/पी-III/ 773 दिनांक 31/01/2025

## शुद्धिपत्र

1. बोर्ड द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.01.2025 संदर्भ सं.12(17)/एलसी/2008/पी-III/768 के अनुसार हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने और चाय के निर्माण का कार्य शुरू करने के संबंध में, सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि, डुआर्स, तराई एवं बिहार के लिए प्रारंभ तिथियों की समीक्षा कुछ चाय उत्पादक संघों से प्राप्त इनपुट एवं सुझावों और क्षेत्र के चाय बागानों में गुणवत्ता वाली हरी पत्तियों की उपलब्धता की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

2. अत: आदेश संख्या 12(17)/एलसी/2008/पी-III/768 दिनांक 29.01.2025 के आंशिक संशोधन में डुआर्स, तराई और बिहार बागान क्षेत्रों में हरी चाय की पत्तियों की तुड़ाई और चाय के निर्माण की शुरुआत की तारीख 17 फरवरी 2025 के बजाय 10 फरवरी 2025 तक संशोधित की जाती है।

3. दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्रों के लिए चाय की पत्तियों की तुड़ाई और चाय के विनिर्माण की प्रारंभ तिथि और आदेश सं. 12(17)/एलसी/2008/पी-III/768 दिनांक 29.01.2025 की अन्य संबंधित नियम और शर्तें समान/अपरिवर्तित रहेंगी।

Sd/-
उपाध्यक्ष, टी बोर्ड एवं
अनुज्ञापन प्राधिकारी

वितरण :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ | सख्त अनुपालन हेतु सदस्यों के बीच सूचना एवं प्रसार हेतु |
| 2. | संबंधित क्षेत्र के सभी पत्ती चाय क्रेता उत्पादक संघ | |
| 3. | संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ | |
| 4. | टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी एवं पालमपुर | सभी हितधारकों को परिचालन एवं आदेश के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए |
| 5. | निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड | सूचनार्थ |
| 6. | सिस्टम एनालिस्ट, टी बोर्ड | बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |